

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज


02.04.204

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण अधिवक्ता उपरिथत।

वादीगण अधिवक्ता प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना का एक अवसर चाहते हैं।

पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा उक्त वाद दिनांक 21.12.2021 को इस न्यायालय में दायर करवाया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा लगभग 02 वर्ष 03 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई। इससे जाहीर होता कि वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उक्त वाद में कोई रूची नहीं ले रहे हैं। लिहाजा वादीगण का वाद तलबी के अभाव में आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम तकमील में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

